कार्यालय जिला पंचायत, उन्नाव।

अनुज्ञा / स्वीकृति

पत्रांक संख्या–915 / मानचित्र / जि0पं0उ0 / 2024–25 दिनांक : 26 फरवरी, 2024

श्री नितिन कुमार
पुत्र श्री राम बहादुर सिंह
प्रबन्धकः आर0बी0एस0 ग्लोबल पब्लिक स्कूल
रसूलपुर, सोहरामऊ, उन्नाव।

विषय– मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम रसूलपुर में स्थित भूमि के खसरा संख्या / गाटा सं0 319 क्षेत्रफल 6264.00 वर्ग मीटर में पूर्व से निर्मित शैक्षणिक भवन का आप द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक मानचित्र, जो कि जिला पंचायत, उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत, उन्नाव की उपविधि संख्या खण्ड 72 / संख्या 46 / भाग–3–22 घ (127–137) दिनांक 17.11.2018 द्वारा प्रकाशित के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तावित भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि, नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं, अथवा गलत हैं, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस कारण परियोजना के निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है, अथवा सील किया जा सकता है।
2. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र स्वीकृत के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक धारा 80 सी के अन्तर्गत अकृषि घोषणा एवं लाईसेंस / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक / निर्माणकर्ता की होगी।
3. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रस्तावित शैक्षणिक भवन का कार्य करते समय तथा कार्य अवधि में कोई भी सामग्री सम्मुक मार्ग पर एकत्रित / अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल / सीवरेज / उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण / प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल से 1965 के नियम–7 यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र के अनुसार शैक्षणिक भवन के भू उपयोग हेतु उपलब्ध भूखण्ड का क्षेत्रफल–6264.00 वर्ग मीटर में शैक्षणिक भवन द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्रफल–1964.9 वर्ग मीटर तथा बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई–110 रनिंग मीटर में ही कार्य होगा। जिसका अनुमोदित एफ0ए0आर0–0.60 है।

7. प्रतिबन्ध रहेगा कि उपविधि के प्रस्तर (छ) के अनुसार स्वीकृति मानचित्र की अवधि 03 वर्ष के पश्चात कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्यालय जिला पंचायत, उन्ना से पुनः प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा अथवा उपविधि के प्रस्तर (झ) के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर कार्यालय से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत, उन्नाव से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
10. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्रति वृक्ष के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. प्रतिबन्ध यह होगा कि शैक्षणिक भवन के स्थायी निर्माण व भवनों में स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/निर्माणकर्ता की होगी।
12. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि शैक्षणिक भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को, स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रापत करने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर प्राप्त अनापत्ति के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
13. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
14. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेटिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
15. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि शैक्षणिक भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भूखण्ड स्वामी द्वारा करना होगा।
16. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि जिला पंचायत, उन्नाव की मानचित्र उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत भूखण्ड स्वामी को भूखण्ड का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन में ही करना होगा।
17. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, उन्नाव उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने पर जिला पंचायत द्वारा दी गयी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जायेगी।

(अजय कुमार मिश्र)
अभियन्ता
जिला पंचायत, उन्नाव।

(राजेन्द्र प्रसाद)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, उन्नाव।

अकृषि भूमि हेतु
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
(SCALE 1:200)
GROUND FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN
(SCALE 1:200)
SITE PLAN
RAIN HARVESTING DETAIL
N.T.S.
SITE
LUCKNOW TO KANPUR ROAD
N.H. - 27
TO SOHRAMAU
TO NAWABGANJ UNNAO
KEY PLAN
(SCALE : N.T.S)
BOUNDRY WALL & GATE
(SCALE : N.T.S)
0.10 TH. R.C.C. SLAB AS DESIGN
H.RAIL
H.RAIL
P.L.
G.L.
P.L.
G.L.
0.60
SECTION
(SCALE 1:100)
PROJECT TITLE :-
M/S- R.B.S. GLOBAL PUBLIC SCHOOL
MANAGER
SPECIFICATION :-
REFERENCES :-
AREA STATEMENT :-
1. TOTAL LAND AREA
2. OPEN PLAY GROUND AREA
3. COV. AREA G. FLOOR
4. COV. AREA ON F. FLOOR
5. COV. AREA ON S. FLOOR
6. COV. AREA ON TERR. FLOOR
7. TOTAL COV. AREA
SIGN. OF OWNER
SHAILENDRA SINGH
(ARCHITECT)
B. Arch.
Reg. No. CA/2015/73484
कार्यालय जिला पंचायत
Certified
उन्नाव
मानचित्रकार
जिला पंचायत–उन्नाव
अवर अभियन्ता
जिला पंचायत–उन्नाव
(अजय कुमार मिश्र)
अभियन्ता
जिला पंचायत, उन्नाव
(राजेन्द्र प्रसाद)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत–उन्नाव